MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 10th September, 1990

- G.S.R. 617:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (d) of sub-section (2), of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby makes the following (Recruitment) Rules, 1983, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the University Grants Commission (Recruitment) Amendment Rules, 1990.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the University Grants Commission (Recruitment) Rules, 1983, against serial number 1, relating to the posts of Secretary, and the entreis relating thereto, the following shall be substituted, namely:

SCHEDULE

SCHEDULE							
1 2	3	4	5	6	6(a)	7	8
1. Secretary		Rs. 7300- 100-7600	Not applicabe	Not applicable	Not applicable	Not applicat	Not ble. applicable
9	10		11			12	
Not applicable.	By transfer on depotation or on contra	A pers servi in a of H with of the level expensation. Officer men belo to	_	served or research or rany Institution/Research ears experied ost-graduat research are acational additional ad	is (2) lar ution ch (3) ence e nd (4) mi- ern- not etary i. rch ani- of at hat	Vice Cheversity Grant Sion. Three me Commission by it: A representation	n, University ommission. nairman, University Commission. material Commissions of the on nominated centative of the overnment.

10

11

12

equivalent will also be eligible for consideration.

Note: (b) Applications for consideration for appointment on transfer on deputation or on contract shall be invited through open advertisement and by inviting nominations from the concerned institutions/organizations. (Appointment will be made on a tenure basis for a term of 5 years, renewable for one more term of 5 years, both being subject to the age of retirement applicable to the employees of the Organisation from which a person is appointed on deputation or on contract.

[No. F. 4-61/90-U.I. S. G. MANKAD, Jt. Secy.

Foot Note:—Principal rules were published vide Notification No. F. 10—30/80-Desk(U) dated the 19th May, 1983 amended by (1) Notification No. F. 10—46/83-Desk(U) dated the 22nd September 1983; (2) Notification No. F. 10—46/83-Desk(U) dated the 14th November, 1984 and (3) Notification No. F. 10—25/88-Desk (U) dated 21st November, 1989.

धम मंत्रातय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1990

सा का नि 618— बोह पयस्क खान, मेननीज प्रयस्क खान भीर कीम प्रयस्क खान, अभ कत्याण उपकर नियम, 1978 का पीर संगोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारुप, नोह प्रयस्क खान मैंग्नीच प्रयस्क खान प्रीर कीम प्रयस्क खान श्रम कत्याण उपकर प्राधिनियम, 1976 (1976 का 55) की धारा 14 की उपधारा (i) की प्रपेशानकार भारत सरकार के धम मंतालय की पश्चित्वना स सा. का. नि. 972 तारीख 12 दिसम्बर, 1989 के प्रधीन, भारत के राजपन्न भाग 2, खंड 3, उनखंड (i) उारीख 30 दिसम्बर, 1989 में प्रकाणित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से उनत प्रिवृत्वना के राजपन्न फ्रिया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से उनत प्रविवृत्वना के राजपन्न में प्रकाणित की तारीख से 45 दिन की प्रपंधि के प्रवसान तक प्राक्षम भीर मुझाव गांमें गए पे, जिनके उत्तमें प्रभावित होने की संभावना थी।

मोर उस्त राजपद्र 11 जनदरी, 1990 को जनता को उपलब्ध कम दिया गया पा;

प्रार उक्त प्रारूप के संबंध में कोई प्रारूप या गुझाब प्राप्त नहीं हुए हैं;

मतः केन्द्रीय सरकार उन्त प्रक्रियम की धारा 14(1) द्वारा प्रदत्त स्रक्तियों का प्रयोग करते दृष्ट नोह प्रयक्त खान, मंगनीज प्रयक्त खान भीर हो। ययक खान थ्रम कल्याण उपकर नियम, 1978 का भीर संजी-धन करा के तिए निम्निविधित ित्यम बनातो है, गयात :--

- J. (1) इन नियमों का खंक्षिण्त नाम तौह प्रयस्क खान, मैननीज प्रयस्क खान और कोम प्रयस्क खान श्रव छल्वाण उपनर (बंबोबन) नियम, 1990 है।
- (2) वे राजपत में प्रकाशन ही तारीच को प्रनृत्त होंगे।
- 2 चीह ग्रवस्क खान. मैगनांच ग्रवस्क खान ग्रीर काम ग्रवस्क खान श्रम कस्याण उपकर नियम, 1978 में: --
 - (क) नियम 10 में, "038" प्रकों के स्वान पर "0038" एक एवं" जायेंगे,
 - (ख) नियम 12 के उपनियम (6) में, "मास्तीय स्टेट के या उत्तर सम्बद्धाो" शब्दों के स्थान पर "ध्यम महासय, नई दिल्ली का प्रत्याधित वैक" शब्द एखें जाएं।

पाद टिप्पण :

मुख्य नियम प्राष्ट्रमूचना सा का नि तं 1044 दिनांक, 9 प्रगस्त, 1975 को प्रकाशित हुए प्रोर निप्न के दारा संगोधन किए गए ;

- (1) सं .हा.ति. स. 1010 दिनांग s दिनम्बर, 1982; फिर
- (2) सा.का.नि. . в. 533(ई) दिवार 28 जन, 1983

[हा न एत-2301=/1/53-इसव-II(II)]